



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण  
EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)  
PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 103]

नई दिल्ली, मंगलवार, मार्च 1, 2011/फाल्गुन 10, 1932

No. 103]

NEW DELHI, TUESDAY, MARCH 1, 2011/PHALGUNA 10, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 28 फरवरी, 2011

सा.का.नि. 176(अ).—सड़क मार्ग द्वारा वहन नियम, 2010 का प्रारूप, सा0का0नि0 सं0 505 (अ), तारीख 15 जून, 2010 द्वारा प्रकाशित किया गया था जिसमें ऐसे सभी व्यक्तियों से, जिनके उससे प्रभावित होने की संभावना थी, उस तारीख से, जिसको उस राजपत्र की प्रतियां, जिसमें उक्त अधिसूचना प्रकाशित की गई थी, जनता को उपलब्ध कराए जाने से पैंतालीस दिन के अवसान से पूर्व आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे ;

और उक्त राजपत्र अधिसूचना की प्रतियां जनता को 17 जून, 2010 को उपलब्ध करा दी गई थीं ;

और जनता से उक्त प्रारूप नियमों के संबंध में, प्राप्त आक्षेपों और सुझावों पर केंद्रीय सरकार ने विचार कर लिया है ;

अतः, अब, केंद्रीय सरकार, सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 (2007 का 41) की धारा 20 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात् :-

प्रारूप नियम

- संक्षिप्त नाम - (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम सड़क मार्ग द्वारा वहन नियम, 2011 है ।  
(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे ।
- परिभाषाएं - इन नियमों में जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हों -  
(क) “ अधिनियम” से सड़क मार्ग द्वारा वहन अधिनियम, 2007 अभिप्रेत है ;  
(ख) “ प्रारूप” से इन नियमों से उपाबद्ध प्रारूप अभिप्रेत है ;  
(ग) “ धारा” से अधिनियम की कोई धारा अभिप्रेत है ; और

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इनमें प्रयुक्त हैं और परिभाषित नहीं हैं किन्तु अधिनियम में परिभाषित हैं, वही अर्थ होंगे जो उस अधिनियम में हैं ।

3. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किए जाने या उसका नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन । -

(1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किए जाने या उसका नवीकरण किए जाने के लिए आवेदन, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को तीन प्रतियों में, प्ररूप 1 में किया जाएगा ।

(2) उपधारा (1) के अधीन आवेदन के साथ ऐसी फीस, बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा संलग्न की जाएगी जो सारणी के नियम 13 के क्रम सं. 1, 2 और 3 के सामने विनिर्दिष्ट की गई है ।

4. रजिस्ट्रीकरण प्रदान करने के लिए शर्तें । - नियम 3 के अधीन रजिस्ट्रीकरण के लिए आवेदन करने वाला व्यक्ति निम्नलिखित शर्तों का अनुपालन करेगा, अर्थात् :-

(i) आवेदक किसी रजिस्ट्रीकृत कंपनी से सामान्य वाहक के रूप में कृत्य करने के लिए अपने नाम में या किसी रजिस्ट्रीकृत संगठन या भागीदार या स्वत्वधारी या निदेशक के नाम में दो वाणिज्यिक यान का रजिस्ट्रीकृत प्रमाणपत्र या संविदापत्र या कार्य आदेश प्रस्तुत करेगा ;

(ii) आवेदक के पास अपनी स्वयं की या उसके किसी स्वत्वधारी या भागीदार या निदेशक की न्यूनतम पांच लाख रुपए की शुद्ध संपत्ति होगी जो चार्टर्ड एकाउंटेंट से किसी प्रमाणपत्र या संवीक्षित तुलन पत्र या आयकर विवरणी या बैंकर्स प्रमाणपत्र द्वारा समर्थित होनी चाहिए ;

परंतु यदि सेवा प्रदान करने के लिए रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र के लिए आवेदन उच्चतर जोखिम पर हैं तो आवेदक या उसके किसी स्वत्वधारी या भागीदार या निदेशक की शुद्ध संपत्ति न्यूनतम बीस लाख रुपए होगी ;

(iii) जहां सामान्य वाहक स्वत्वधारी या भागीदारी फर्म हैं वहां स्वत्वधारी या भागीदारों को पहले से काली सूची में या उनके रजिस्ट्रीकरण को समाप्त किया गया नहीं होना चाहिए ;

5. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान किया जाना या उसका नवीकरण किया जाना । - (1) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी नियम 13 के साथ पठित नियम 3 के अधीन विनिर्दिष्ट फीस के साथ संलग्न किसी आवेदन की प्राप्ति पर और उसका यह समाधान हो जाने के पश्चात् कि आवेदक ने नियम 4 में विनिर्दिष्ट सभी शर्तों का पालन किया है, तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 2 में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को प्रदान या उसको नवीकृत करेगा ।

(2) जहां कोई आवेदन, विनिर्दिष्ट फीस के बिना रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्राप्त हुआ है या नियम 4 के अधीन विनिर्दिष्ट शर्तों का आवेदक द्वारा पालन नहीं किया गया है वहां रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, आवेदक को ऐसी फीस का संदाय करने और इस प्रकार विनिर्दिष्ट शर्तों का अनुपालन करने के लिए निदेश कर सकेगा, उस दशा में उपनियम (1) के अधीन विनिर्दिष्ट अवधि का संगणना, सभी प्रकार से पूर्ण आवेदन की प्राप्ति की तारीख से की जाएगी ।

(3) रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में शाखा कार्यालयों के पृष्ठांकन के सबूत के रूप में रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में पृष्ठांकित किए जाने वाले शाखा कार्यालयों के ब्यौरों से सम्मिलित प्ररूप 1 के भाग 2 को अनुप्रमाणित करेगा ।

6. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधन । - (1) नियम 5 के अधीन जारी रजिस्ट्रीकरण के प्रमाणपत्र में किसी शाखा कार्यालय को सम्मिलित करने या बंद करने या उसमें अन्य संशोधन के लिए कोई आवेदन ऐसे रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को किया जाएगा जिसको प्ररूप 3 में मुख्य आवेदन किया गया था और उसके साथ ऐसी फीस, बैंक ड्राफ्ट या भारतीय पोस्टल आर्डर द्वारा संलग्न की जाएगी जो नियम 13 की सारणी के क्रम सं. 4 के सामने यथाविनिर्दिष्ट की गई है ।

(2) उपनियम (1) के अधीन आवेदन की प्राप्ति पर रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से तीस दिन की अवधि के भीतर प्ररूप 4 में रजिस्ट्रीकरण के संशोधित प्रमाणपत्र को जारी करेगा ।

(3) जहां रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नियम 2 में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर जारी नहीं किया जाता है वहां यह उपधारा की जाएगी कि रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र से इंकार कर दिया गया है ।

7. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का निलंबन, प्रतिसंहरण या रद्दकरण । - रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी, रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र को धारा 5 की उपधारा (2) के उपबंधों के उल्लंघन के लिए एक सप्ताह की अवधि के लिए प्रतिसंहरण कर सकेगा ।

8. रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के धारक द्वारा अनुरक्षित किए जाने वाले रजिस्टर का प्ररूप । - (1) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का प्रत्येक धारक संव्यवहारों के अभिलेख को मुख्य कार्यालय और शाखा कार्यालय में रखे जाने वाले रजिस्टर में अनुरक्षित किया जाएगा और प्ररूप 5 में हस्तलिखित या इलैक्ट्रॉनिक प्ररूप में, त्रैमासिक आधार पर उसको अद्यतन किया जाएगा ।

(2) उपनियम (1) के अधीन रजिस्टर में अभिलिखित प्रविष्टियों का सार, रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी को प्ररूप 6 में प्रस्तुत किया जाएगा ।

(3) सामान्य वाहक द्वारा प्रस्तुत किए गए आंकड़ों में किसी फर्क की दशा में रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी या राज्य परिवहन विभाग द्वारा प्राधिकृत भारत सरकार के अवर सचिव की पंक्ति से अन्यून कोई अधिकारी, सामान्य वाहक के मुख्य कार्यालय का ऐसे आंकड़ों का समाधान करने के लिए पारस्परिक रूप से सुविधाजनक तारीख और समय पर दौरा कर सकेगा ।

9. अपील के लिए फीस । - धारा 6 के अधीन प्रत्येक अपील के साथ, नियम 13 की सारणी के क्रम सं. 5 के सामने यथाविनिर्दिष्ट फीस संलग्न की जाएगी ।

10. माल अग्रेषण टिप्पण और माल रसीद । - (1) प्रत्येक परेषक, अपना माल बुक कराते समय प्ररूप 7 में माल के ब्यौरों से सम्मिलित, धारा 8 की उपधारा (1) के अधीन यथाविनिर्दिष्ट माल अग्रेषण टिप्पण का निष्पादन करेगा और उसको सामान्य वाहक को दो प्रतियों में देगा ।

(2) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के लिए, माल अग्रेषण टिप्पण किसी कागज पर जिसके ऊपरी बाएं कोनों पर “विस्तृत माल” के रूप में लाल रंग से मुद्रित हो, जारी किया जाएगा ।

(3) माल अग्रेषण टिप्पण की अभिसवीकृति की प्रति सामान्य वाहक द्वारा परेषक को वापस की जाएगी ।

(4) प्रत्येक सामान्य वाहक, परिवहित किए जाने वाले माल की बुकिंग के लिए परेषक से माल अग्रेषण टिप्पण की प्राप्ति पर, प्ररूप 8 में माल की रसीद जारी करेगा ।

(5) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के लिए, माल-रसीद किसी कागज पर जिसके ऊपरी बाएं कोनों पर “खतरनाक या परिसंकटमय माल” के रूप में लाल रंग से मुद्रित हो, जारी की जाएगी ।

11. खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल के वहन के लिए प्रक्रिया और रक्षोपाय । - (1) सामान्य वाहक यह सुनिश्चित करेगा कि खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल को वहन करते समय केन्द्रीय मोटर यान नियम, 1989 के नियम 130, नियम 131, नियम 132, नियम 133, नियम 134, नियम 135, नियम 136 और नियम 137 के अधीन विनिर्दिष्ट प्रक्रिया और रक्षोपायों का निष्ठा से अनुपालन किया गया है ।

(2) खतरनाक या परिसंकटमय प्रकृति के माल की बुकिंग करते समय परेषक, माल अग्रेषण टिप्पण में ऐसे माल के संबंध में ब्यौरे उपदर्शित करेगा ।

12. किसी परेषण को हानि या नुकसान के लिए सामान्य वाहक का दायित्व । - (1) कुल हानि के लिए धारा 10 के अधीन सामान्य वाहक का दायित्व, संदत्त या संदेय माल भाड़े के दस गुने तक सीमित होगा :

परंतु इस प्रकार संगणित रकम, माल अग्रेषण टिप्पण में यथा घोषित माल के मूल्य से अधिक नहीं होगा ।

(2) माल के आंशिक नुकसान की दशा में ऐसे नुकसान का मूल्यांकन, सामान्य वाहक द्वारा अपने मुख्य या शाखा कार्यालयों में से अधिसूचित सूची में से परेषक द्वारा चयनित, सरकार द्वारा अनुमोदित किसी स्वतंत्र मूल्यांकक या सर्वेक्षक द्वारा किया जा सकेगा और ऐसे मूल्यांकन की लागत सामान्य वाहक द्वारा वहन की जाएगी ।

(3) आंशिक हानि की दशा में दायित्व की रकम उपनियम (2) के अधीन सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक या सर्वेक्षक द्वारा निर्धारित की जाएगी ।

(4) परेषण के साथ भेजे गए दस्तावेजों की हानि के लिए दायित्व, पांच सौ रूपए से अधिक नहीं होगा ।

(5) विनश्वर माल की दशा में परेषक या परेषिती, माल की हानि या क्षय की रिपोर्ट के समय से चौबीस घंटे की अवधि के भीतर सरकार द्वारा अनुमोदित मूल्यांकक या सर्वेक्षक का चयन करेगा जिसमें असफल रहने पर सामान्य वाहक, माल के क्षय के कारण हानि की मात्रा निर्धारित करने के लिए उक्त मूल्यांकक या सर्वेक्षक का चयन करने

के लिए स्वतंत्र होगा और ऐसी दशा में दायित्व की रकम पूर्वोक्त मूल्यांकक या सर्वेक्षक द्वारा हानि के मूल्य या दायित्व को निर्धारित किया जाएगा।

(6) सामान्य वाहक द्वारा परेषिती को परेषण के परिदान को माल अग्रेषण टिप्पण में यथा वर्णित माल के परिदान के प्रथमदृष्टया साक्ष्य के रूप में माना जाएगा जब तक कि माल की हानि या नुकसान की सामान्य प्रकृति की सूचना लिखित में परेषिती को माल देते समय परेषिती द्वारा सामान्य वाहक को न दे दी गई हो :

परंतु ऐसी दशा में जहां परेषण की हानि या नुकसान दृश्यमान नहीं है वहां उपधारा (1) से उपधारा (6) के उपबंध तब तक लागू नहीं होंगे जब तक कि परेषिती द्वारा माल की हानि या नुकसान की लिखित में सूचना परेषिती को परेषण को वास्तविक रूप से देने की तारीख से छह दिन के भीतर नहीं दे दी गई हो।

(7) वहन किए गए माल के लिए सामान्य वाहक का उत्तरदायित्व केवल अभिवहन अवधि के दौरान, परेषक से अपने प्रभार में माल को लेने की तारीख से गन्तव्य स्थान पर पहुंचने की तारीख तक, धन, तीन कलेंडर दिन तक की ही होगी और परेषण के पहुंचने की तारीख के लिए उस दिन को जिसको माल गन्तव्य पर भौतिक रूप से पहुंचता है या उस दिन को जब परेषिती या परेषक को माल के गन्तव्य पर पहुंचने की सूचना दी जाती है, इनमें से जो भी बाद का हो, लिया जाएगा।

(8) सामान्य वाहक की ओर से उपगत होने वाले दायित्व की दशा में परेषक, परेषिती या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि, माल रसीद में सामान्य वाहक द्वारा घोषित दूरी को पुनः देख सकेंगे और वास्तविक दायित्व, सामान्य वाहक, परेषक और परेषिती या उनके प्राधिकृत प्रतिनिधि द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्य पर आधारित होगा।

(9) सामान्य वाहक का दायित्व, माल रसीद पर दर्शित करों को छोड़कर वास्तविक संगृहीत या देय माल भाड़े पर या कुल प्रभार के नब्बे प्रतिशत पर, इनमें से जो भी उच्चतर हो संगणित किया जाएगा :

परंतु खतरनाक या परिसंकटमय माल के वहन करने या उसके लिए आशयित यान की दशा में सामान्य वाहक यह सुनिश्चित करेगा कि ऐसा माल लोक दायित्व बीमा अधिनियम, 1991 (1991 का 6) के अधीन किसी एक पॉलिसी में बीमाकृत है।

13. इन नियमों के अधीन प्रभारित की जाने वाली फीसों निम्नलिखित सारणी में विनिर्दिष्ट के अनुसार होंगी, अर्थात् :-

सारणी

क्रम सं.	प्रयोजन	रकम
(1)	(2)	(3)
1.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करते समय ब्याज मुक्त प्रतिभूति निक्षेप	5,000/- रुपए
2.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के लिए आवेदन करने के लिए फीस	1000/- रुपए धन 250/- रुपए (प्रसंस्करण फीस)
3.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के नवीकरण के लिए फीस	1000/- रुपए धन 250/- रुपए (प्रसंस्करण फीस)
4.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र में संशोधनों के लिए फीस	250/- रुपए (प्रसंस्करण फीस)
5.	अपील का ज्ञापन प्रस्तुत करने के लिए	500/- रुपए

<b>प्ररूप 1</b> <b>(भाग 1)</b> <b>रजिस्ट्रीकरण/नवीकरण के लिए आवेदन</b> <b>[नियम 3(1) देखें]</b> <b>(तीन प्रतियों में भरें) (जो लागू न हो उसे काट दें)</b>	
1. संगठन का नाम	
2. संगठन का प्रकार (क) स्वत्वधारी (ख) भागीदारी (ग) प्राइवेट लिमिटेड कंपनी (घ) लिमिटेड कंपनी (ङ) अन्य, विनिर्दिष्ट करें	
3. प्रचालन प्रारंभ करने का वर्ष	
4. पैन नं० : (कृपया प्रति संलग्न करें)	
5(क) पुराने रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे (यदि कोई हो) (i) सं० : (ii) जारी करने की तारीख (iii) .....तक वैध (iv) जारी करने वाला प्राधिकारी (ख) चाहे रजिस्ट्रीकरण प्रमाण-पत्र जारी किया गया है और किसी दृष्टि से संगठन का भूत में सक्षम प्राधिकारी द्वारा प्रतिसंहरण किया गया है या प्राधिकृत व्यक्ति स्वत्वधारा/भागीदार/निदेशक आदि के रूप में सहयोजित किया गया था, यदि हां, तब सभी ऐसे अवसरों के लिए सुसंगत दस्तावेजों की एक प्रति सहित पूर्ण विशिष्टियों के साथ प्रस्तुत करें ।	
6. प्रधान कार्यालय के ब्यौरे (क) पता : (ख) दूरभाष सं०:	

7669711-2

<p>(ग) ई-मेल : (स्वामित्व दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रति/पट्टा विलेख की प्रति/भाटक करार की प्रति प्रस्तुत करें)</p>	
<p>7. उस राज्य की अधिकारिता, जिसके अधीन प्रधान कार्यालय अवस्थित है</p>	
<p><b>8. प्राधिकृत व्यक्ति के ब्यौरे</b></p> <p>(क) नाम :</p> <p>(ख) पदनाम :</p> <p>(ग) निवास का पता :</p> <p>(घ) दूरभाष सं०:</p> <p>(ङ) ई-मेल :</p> <p>(च) फोटो पहचान प्रमाण का प्रकार और सं० : (फोटो पहचान का कोई एक प्रमाण) :</p> <p>(क) पासपोर्ट (ख) मतदाता पहचान पत्र (ग) राशन कार्ड (छ) भागीदारों/निदेशकों/स्वत्वधारी द्वारा हस्ताक्षरित प्राधिकार पत्र/संकल्प*</p> <p>(*विधिक संवीक्षा हेतु)</p>	
<p>9. आवेदित शाखाओं की सं०: (कृपया प्ररूप सं० 2 में सूची का ब्यौरा संलग्न करें) (स्वामित्व दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रति/पट्टा विलेख की प्रति/भाटक करार की प्रति प्रस्तुत करें)</p>	
<p>9क. अभिकर्ताओं के कार्यालयों और गोदामों के ब्यौरे</p> <p>(क) पता :</p> <p>(ख) दूरभाष सं० :</p> <p>(ग) ई-मेल :</p> <p>(स्वामित्व दस्तावेज (दस्तावेजों) की प्रति/पट्टा विलेख की प्रति/भाटक करार की प्रति प्रस्तुत करें)</p>	
<p>10. रजिस्ट्रीकरण की पद्धति (जो लागू हो टिक करें)</p>	<p>ब्यौरे :</p>

(कृपया स्वप्रमाणित प्रति संलग्न करें)	
<p>(क) कार्य मापदंड (निम्नलिखित में से एक)</p> <p>(i) संगठन/स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक के नाम में दो वाणिज्यिक वाहन का रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र की किताब</p> <p>(ii) ख्याति प्राप्त कोई रजिस्ट्रीकृत कंपनी/वाणिज्यिक संगठन का संविदा पत्र/कार्य आदेश</p> <p>(ख) वित्तीय मापदंड :</p> <p>आवेदक, आवेदक कंपनी या उसके स्वत्वधारी /भागीदार/निदेशक के शुद्ध मूल्य 5 लाख रु० में स्थापित होगी, जो निम्नलिखित कोई एक प्रस्तुत करेगी</p> <p>(1) संपरीक्षा तुलनपत्र</p> <p>(2) सी.ए. प्रमाणपत्र</p> <p>(3) वैयक्तिक तुलनपत्र/आयकर विवरणी</p> <p>(4) बैंककार प्रमाणपत्र</p>	
<p>11. चाहे सेवाएं (i) केवल अधिनियम की धारा 10 के अधीन या (ii) अधिनियम की धारा 10 और धारा 11 या दोनों के अधीन उपलब्ध की जाएंगी। यदि सेवा धारा 11 के अधीन उपबंधित की गई है तो आवेदक का शुद्ध मूल्य 20 लाख रु० से कम नहीं होगा। आवेदक कंपनी या उसके स्वत्वधारी/भागीदार/निदेशक उपरोक्त स्तंभ 10 में दर्शित दस्तावेजों की कोई एक शुद्ध मूल्य के समर्थक होंगे।</p>	
<p>12. संदत्त फीस के ब्यौरे :</p> <p>(i) प्रधान कार्यालय और शाखाओं के रजिस्ट्रीकरण के लिए प्रतिभूति निक्षेप 5000/-रु०</p> <p>(ii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र अनुदत्त के लिए रजिस्ट्रीकरण फीस 1000/-रु०</p> <p>(iii) रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र नवीकरण फीस (10 वर्ष की समाप्ति के बाद) 1000/-रु०</p> <p>(iv) प्रोसेसिंग फीस 250/-रु०</p>	<p>ब्यौरे :</p>
<p>13. घोषणा :</p>	

मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियाँ मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही है/हैं।

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

14. संलग्न दस्तावेजों की सूची :

15.

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम :

भाग 2  
शाखाओं के ब्यौरे

क्रम सं०	अवस्थिति/राज्य	पूरा पता और संपर्क ब्यौरे (दूरभाष सं०/फैक्स सं०/ई-मेल)	प्रयुक्त कार्यालय/गोदाम/हब केन्द्र	प्रारंभ की तारीख

तारीख :

प्राधिकृत व्यक्ति के हस्ताक्षर

प्ररूप 2  
रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र  
[नियम 5(1) देखें]

1.	रजिस्ट्रीकरण सं० :	
2.	जारी करने की तारीख:	
3.	.....तक वैध :	
4.	निम्न को जारी किया गया : क) संगठन का नाम : ख) प्रधान कार्यालय का पता और संपर्क ब्यौरे :  क) प्राधिकृत व्यक्ति का नाम : ख) प्राधिकृत व्यक्ति के संपर्क ब्यौरे :	
5.	शाखाओं की कुल सं० (प्ररूप सं० 2 के अनुसार संलग्न सूची)	
6.	रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र जारी करने वाले रजिस्ट्रीकरण प्राधिकारी की विशिष्टियां	

तारीख :

स्थान :

मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम :

पदानाम :

766 ५७११-३

## प्ररूप 3

रजिस्ट्रीकरण में संशोधन के लिए आवेदन  
[नियम 6(1) देखें]

(तीन प्रतियों में भरें)

1. संगठन का नाम	
2. विद्यमान रजिस्ट्रीकरण के ब्यौरे (i) सं० : (ii) जारी करने की तारीख (iii) .....तक वैध (iv) जारी करने वाला प्राधिकारी	
3. प्रधान कार्यालय के ब्यौरे (क) पता : (ख) दूरभाष सं०: (ग) ई-मेल :	
4. अपेक्षित संशोधन : (जो लागू हो उसे टिक करें) (क) जोड़ना/हटाना/शाखाओं के पते में परिवर्तन: (प्ररूप 2 में नया उपाबंध संलग्न करें) (ख) प्रधान कार्यालय के पते में परिवर्तन : (ग) प्राधिकृत व्यक्ति/विशिष्टियों में परिवर्तन : (घ) किन्हीं अन्य विशिष्टियों में परिवर्तन, विनिर्दिष्ट करें : (परिवर्तन के 90 दिनों के भीतर सूचित करें)	
5. संशोधन के ब्यौरे : (समर्थक दस्तावेजों को संलग्न करें)  टिप्पण : यदि 30 दिनों के भीतर आवेदक द्वारा कोई सूचना प्राप्त नहीं होती है, तो आवेदन सम्यक् रूप से प्राप्त और अभिस्वीकृत होता है, उपरोक्त परिवर्तन स्वीकृत समझा जाएगा ।	
6. संदत्त फीस के ब्यौरे :	ब्यौरे :
7. घोषणा : मैं/हम यह घोषणा करता हूँ/करते हैं कि उपर्युक्त विशिष्टियां मेरे/हमारे ज्ञान के अनुसार सत्य और सही हैं/हैं और परिवर्तन का अनुरोध प्राधिकृत प्राधिकारी द्वारा रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र के प्रतिसंहरण की दशा में नहीं किया गया है । तारीख :	प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

8. संलग्न दस्तावेजों की सूची :

स्थान :

प्राधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के हस्ताक्षर

तारीख :

नाम :

पदनाम :

प्ररूप 4

रजिस्ट्रीकरण प्रमाणपत्र का संशोधन

[नियम 6(2) देखें]

1.	सं० :	
2.	जारी करने की तारीख:	
3.	.....तक वैध :	
4.	निम्न को जारी किया गया : (क) संगठन का नाम : ख) रजिस्ट्रीकरण सं० : (ग) जारी करने की तारीख : (घ) .....तक वैध :	
5.	संशोधन के ब्यौरे :	

तारीख :

स्थान :

मुहर सहित हस्ताक्षर

नाम :

पदनाम :



प्ररूप 6  
समेकित वार्षिक विवरणी  
[नियम 8(2) देखें]

क्रम सं०	वस्तु	पैकेजों की सं० और भार (टन में)/मात्रा (सीसी)	माल भाड़ा संग्रहीत (लाख में)
1.	पेय, जिसमें पेय अल्कोहल सम्मिलित है		
2.	भवन सामग्री		
3.	रसायन (जिसमें गैस सम्मिलित है)		
4.	उर्वरक		
5.	चाय, कॉफी और ग्रासरी		
6.	उपभोक्ता स्थायी, घरेलू इलेक्ट्रानिक और इलेक्ट्रिक उपकरण		
7.	फल, सब्जियां, मीट और मछली (जिसमें प्रसंस्कृत मदें सम्मिलित हैं)		
8.	अनाज और खाद्य तल		
9.	दूध और दुग्ध उत्पाद		
10.	पेट्रोलियम उत्पाद जिसमें एलपीजी सम्मिलित है		
11.	चमड़ा और चमड़े के उत्पाद		
12.	प्लास्टिक और प्लास्टिक के उत्पाद		
13.	पशुधन		
14.	मशीनरी और मशीन के औजार/मेटल और मेटल स्कैप		
15.	मोटर यान और मोटर यान के पार्ट		
16.	पेपर, पेपर बोर्ड, लकड़ी और टिम्बर उत्पाद		
17.	रबर और रबर के उत्पाद		
18.	चीनी, गन्ना/उपोत्पाद		
19.	प्रसाधन सामग्री और प्रसाधन		
20.	कोई अन्य मद जो उपरोक्त सूची में नहीं है		

**प्ररूप 7**  
**माल अग्रेषण टिप्पण**  
**[नियम 10(1) देखें]**

क्रम सं०	विषय	ब्यौरे
1.	माल अग्रेषण टिप्पण सं० और माल रसीद सं० तारीख, यदि कोई हो (माल अग्रेषण टिप्पण मशीन द्वारा संख्यांकित हो)	
2.	परेषक और परेषिती के ब्यौरे	
3.	माल की विशिष्टियां	
4.	माल की मात्रा	
5.	भार/मात्रा और पैकेज की सं०/इकाइयां	
6.	उद्गम	
7.	गंतव्य स्थान	
8.	साधारण शर्तों के अधीन परिदान की अनुमानित तारीख	
9.	यदि अधिनियम की धारा 10 या धारा 11 के अधीन कार्गो/परेषण बुक किया गया है	
10.	विलंब की वांछनीय अवधि, यदि कोई हो, परिदान की संभावित तारीख के परे (धारा 10(2) की अपेक्षानुसार, यदि कार्गो अधिनियम की धारा 10 के अधीन बुक किया गया है)	
11.	कार्गो बुक किया जाएगा जो (क) खतरनाक और परिसंकटमय माल (डी और एच) प्रवर्ग या (बी) सामान्य माल के रूप में	
12.	जीवन बीमा पालिसी के ब्यौरे/सुरक्षा राशि (खतरनाक/परिसंकटमय माल)	

मैंने.....खतरनाक और परिसंकटमय माल के वहन के लिए आवश्यक सावधानियां अपनायी हैं।

तारीख : .....

परेषक के हस्ताक्षर.....

टिप्पण :

खतरनाक और परिसंकटमय माल प्ररूप के लिए खतरनाक और परिसंकटमय माल के रूप में लाल रंग में ऊपरी बाएं हाथ के कोने में मुद्रित होना चाहिए।

**प्ररूप 8**  
**माल प्राप्ति**  
**[नियम 10(4) देखें]**

क्रम सं०	विषय	ब्यौरे
1.	माल अग्रेषण टिप्पण सं० और तारीख	
2.	माल रसीद सं० और तारीख (माल अग्रेषण मशीन द्वारा संख्यांकित हो)	
3.	परेषक के ब्यौरे नाम और पता : परेषिती के ब्यौरे नाम और पता :	
4.	माल की विशिष्टियां और उनका मूल्य	
5.	भार/ मात्रा और पैकेज की सं०/इकाई	
6.	परेषण का उद्गम	
7.	परेषण का गंतव्य स्थान	
8.	यदि अधिनियम की धारा 10 या धारा 11 के अधीन कार्गो/परेषण बुक किया गया है	
9.	गंतव्य स्थान की दूरी	
10.	परिदान की अनुमानित तारीख	
11.	विलंब का पारस्परिक सहमति अवधि, परिदान की संभावित तारीख के परे (धारा 10(2) की अपेक्षानुसार)	
12.	माल-भाड़ा संग्रहीत/संदत्त/शोध्य (धारा 10(1) के अधीन संगणना दायित्व के लिए)	
13.	यदि कार्गो धारा 11 के अधीन बुक किया गया है तो अतिरिक्त संग्रहीत संदाय/शोध्य और परेषक के साथ पारस्परिक सहमति के रूप में साधारण वाहन द्वारा दिए गए उच्चतर खतरे के लिए ऊपर वर्णित माल-भाड़ा प्रभार का वचन देना ।	
14.	जीवन बीमा पालिसी के ब्यौरे/सुरक्षा राशि	

(खतरनाक/परिसंकटमय माल)
------------------------

मैंने.....खतरनाक और परिसंकटमय माल के वहन के लिए आवश्यक सावधानियां अपनायी हैं ।

तारीख :.....

रजिस्ट्रीकृत साधारण वाहन/प्राधिकृत अभिकर्ता के हस्ताक्षर.....

टिप्पण 1 :

खतरनाक और परिसंकटमय माल प्ररूप के लिए खतरनाक और परिसंकटमय माल के रूप में लाल रंग में ऊपरी बाएं हाथ के कोने में मुद्रित होना चाहिए ।

[फा. सं. आरटी-11023/1/2007-टी]

एस. के. दास, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 28th February, 2011

**G.S.R. 176(E).**—Whereas the draft of the Carriage by Road Rules, 2010 were published vide G.S.R. 505 (E) dated the 15<sup>th</sup> June, 2010 for inviting objections or suggestions from all persons likely to be affected thereby before expiry of the period of forty-five days from the date on which copies of the Gazette of India in which, the said notification was published, were made available to the public;

And whereas copies of the said Gazette notification was made available to the public on the 17<sup>th</sup> June, 2010

And whereas, the objections and suggestions received from the public on the said draft rules have been considered by the Central Government;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 20 of the Carriage by Road Act, 2007 (41 of 2007), the Central Government hereby makes the following rules, namely:-

#### Draft Rules

1. Short title.- (1) These rules may be called the Carriage by Road Rules, 2011.  
(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
2. Definitions.- In these rules, unless the context otherwise requires.-  
(a) "Act" mean the Carriage by Road Act, 2007;  
(b) "Form" means a form appended to these rules;  
(c) "section" means a section of the Act; and  
(d) words and expression used herein and not defined but defined in the Act, shall have the meanings respectively assigned to them in the Act.

3. Application for grant or renewal of certificate of registration.- (1) An application for grant or renewal of a certificate of registration shall be made in Form 1, in triplicate to the registering authority.

(2) The application under sub-rule (1) shall be accompanied by the fee as specified against Sl. Nos. 1, 2 and 3 of the Table to rule 13, by way of Bank Draft or Indian Postal Order.

4. Conditions for grant of registration.- A person applying for registration under rule 3 shall comply with the following conditions, namely:-

(i) the applicant shall produce registration certificate of *two* commercial vehicles registered in his name or in the name of an Organisation or in the name of a partner or proprietor or director, or a contract letter or work order for carrying out functions as common carrier, from a registered company;

(ii) the applicant shall have net worth of minimum rupees five lakhs of its own or of any of its proprietor or partner or director which must be supported by a certificate from the Chartered Accountant, or Audited Balance Sheet or Income Tax Return or Bankers Certificate:

Provided that in case of applications for certificate of registration for providing service at a higher risk, the net worth of the applicant or of any of its proprietor or partner or director shall be minimum rupees twenty lakhs;

(iii) where common carriers are proprietorship firms or partnership firms, the proprietors or partners should not have been blacklisted or deregistered earlier;

5. Grant or renewal of certificate of registration.- (1) The registering authority shall on receipt of an application accompanied by the fees specified under rule 3 read with rule 13, and after satisfying himself that the applicant has complied with all the conditions specified in rule 4, grant or renew the certificate of registration in Form 2 within a period of thirty days.

(2) Where the application is received by the registering authority without the specified fee or where the conditions specified under rule 4 are not fulfilled by the applicant, the registering authority shall direct the applicant to pay the fee and comply with the conditions so specified, in which case the period specified under sub-rule (1) shall be reckoned from the date of receipt of application complete in all respects.

(3) The registering authority shall attest Part II of Form 1 containing details of the branch offices to be endorsed in the certificate of registration as a proof of endorsement of branch offices in the registration certificate.

6. Amendments in certificate of registration.- (1) An application for including or closing a branch office or any other amendment in the certificate of registration issued under rule 5, shall be made to the registering authority to whom the main application was made, in Form 3 and shall be accompanied by the fee as specified against Sl. No.4 of the Table to rule 13 by way of Bank draft or Indian Postal Order.

- (2) The registering authority, on receipt of application under sub-rule (1), shall issue amended certificate of registration in Form 4 within a period of thirty days from the date of receipt of the application.
- (3) Where the certificate of registration is not issued within the period specified in rule (2), it shall be presumed that certificate of registration has been refused.
7. Suspension, revocation or cancellation of certificate of registration.- (1) The registering authority may revoke the certificate of registration, for the contravention of the provisions of sub-section (2) of section 5, for a period of *one* week.
8. Form of register to be maintained by holder of certificate of registration.- (1) Every holder of certificate of registration shall maintain a record of the transactions in the register, to be kept in main office and branch office and updated on quarterly basis, in Form 5, either in manual or electronic form.
- (2) A summary of the entries recorded in the register under sub-rule (1), shall be submitted in Form 6 to the registering authority.
- (3) In case of any discrepancy in the data furnished by the common carrier, the registering authority or the officer not below the rank of Under Secretary to the Government of India authorised by the State Transport Department may visit the main office of the common carrier at a mutually convenient date and time to reconcile such data.
9. Fee for appeal.- Every appeal under section 6 shall be accompanied by the fee as specified against Sl. No. 5 of the Table to rule 13.
10. Goods forwarding note and goods receipt.- (1) Every consignor while booking his goods shall execute a goods forwarding note as specified under sub-section (1) of section 8, containing details of the goods in Form 7 and submit it to the common carrier in duplicate.
- (2) For the goods of dangerous or hazardous nature, the goods forwarding note shall be issued on a paper with upper left hand corners printed in red as "expand goods".
- (3) An acknowledged copy of the good forwarding note shall be returned by the common carrier to the consignor.
- (4) Every common carrier on receipt of the goods forwarding note from the consignor for booking of goods to be transported, shall issue a goods receipt in Form 8.

(5) For the goods of dangerous or hazardous nature, the goods receipt shall be issued on a paper with upper left hand corners printed in red as "Dangerous and Hazardous goods".

11. Procedure and safeguards for carrying goods of dangerous or hazardous nature.-

(1) A common carrier shall, while carrying goods of dangerous or hazardous nature, comply with the procedure and safeguards specified under rules 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136 and 137 of the Central Motor Vehicle Rules, 1989.

(2) While booking goods of dangerous or hazardous nature, the consignor shall indicate the details in respect of such goods in the goods forwarding note.

12. Liability of common carrier for loss of or damage to any consignment.- (1) Liability of the common carrier under section 10 for total loss shall be limited to ten times the freight paid or payable:

Provided that the amount so calculated shall not exceed the value of the goods as declared in the goods forwarding note.

(2) In case of partial damage to the goods, evaluation of such damage may be done by an independent Government approved valuer or surveyor selected by the consignor out of the list notified by the common carrier in its main and branch offices and the cost of such evaluation shall be borne by the common carrier.

(3) In case of partial loss, the amount of liability shall be as assessed by the Government approved valuer or surveyor under sub-rule (2).

(4) Liability for loss of documents sent along with consignment order shall be not exceeding rupees five hundred.

(5) In case of perishable goods, the consignor or the *consignee* shall select the Government approved valuer or surveyor within a period of twenty-four hours from the time of report of the loss or deterioration of the goods, failing which the common carrier shall be free to select the said valuer or surveyor to assess the quantum of loss due to deterioration of the goods and the amount of liability in such case shall be the assessed value of loss or the liability by the aforesaid valuer or surveyor.

(6) The delivery of the consignment to the consignee by the common carrier shall be treated as *prima-facie* evidence of delivery of the goods as described in the goods forwarding note unless notice of the general nature of loss of, or damage to, the goods is given, in writing, by the consignee to the common carrier at the time of handing over of the goods to the consignee:

Provided that in case where the loss of or damage to the consignment is not apparent, provisions contained in sub-rules (1) to (6) shall not apply unless

notice in writing is given by the consignee, of the loss of or damage to, the goods within six days from the date of actual handing over of consignment to the consignee.

(7) The responsibility of the common carrier for the goods carried shall be only during the transit period, from the date of taking over the goods in his or her charge from the consignor to the date of arrival at the destination point plus three calendar days and the date of arrival of the consignment shall be taken as the day on which the goods physically arrive at the destination or the day when the consignee or consignor is informed of the arrival of the goods at the destination, whichever is later.

(8) In case of liability is to be incurred on the part of common carrier, the consignor, consignee or their authorised representative may have a re-look at the distance declared by the common carrier in the goods receipt and actual liability shall be based on the documentary evidence adduced by the common carrier, consignor and consignee or their authorised representative.

(9) The liability of the common carrier shall be calculated on the actual freight collected or due or ninety per cent. of total charges excluding the taxes shown on the goods receipt, whichever is higher:

Provided that in case of a vehicle carrying or meant to carry dangerous or hazardous goods, the common carrier shall ensure that such goods are insured in any one of the policy under the Public Liability Insurance Act, 1991 (6 of 1991).

13. The fees to be charged under these rules shall be as specified in the following Table, namely:-

TABLE

Sl. No. (1)	Purpose (2)	Amount (3)
1	Interest-free security deposit while applying for certificate of registration.	Rs.5,000/-
2	Fee for applying for certificate of registration	Rs.1,000/- plus Rs.250/- (processing fee)
3	Fee for renewal of certificate of registration	Rs.1,000/- plus Rs.250/- (processing fee)
4	Fee for amendments in certificate of registration	Rs.250/- (processing fee)
5	Submission of memorandum of appeal	Rs.500/-

**Form 1**  
**(Part I)**  
**APPLICATION FOR REGISTRATION / RENEWAL**  
**[See rule 3 (1) ]**

(To be filled in Triplicate)

(Delete whichever is not applicable)

1. Name of the Organization	
2. Type of the Organization (a) Proprietorship (b) Partnership (c) Private Ltd. Company (d) Ltd. Company (e) Others, please <i>specify</i>	
3. Year of Commencement of Operation	
4. PAN No.: (Please attach copy)	
5(a). Old Registration Details (if any) (i) No.: (ii) Date of Issue (iii) Valid Up to (iv) Issuing Authority (b). Whether Certificate of Registration had ever been issued and revoked by the competent authority in the past wherein the organisation or the authorised person had been associated as proprietor/partner/director, etc? If yes, then furnish full particulars along with a copy of the relevant documents for all such occasions.	
6. Details of the Main Office (a) Address: (b) Tel. Nos: (c) E-mail: (Copy of the Ownership Document (s)/ Copy of the Lease Deed/ Copy of the Rental Agreement to be produced)	
7. State under whose Jurisdiction the Main office is located	
8. Details of the Authorized Person (a) Name: (b) Designation: (c) Residential Address: (d) Tel. Nos: (e) E-mail: (f) Type of Photo Identity Proof & No.: (Any One of the Photo Identity Proof) : (a) Passport (b) Voter ID (c) Ration Card ) (g) <b>Authority letter -/ Resolution * signed by Partners / Directors / Proprietor (* should stand legal scrutiny)</b>	
9. No. of Branches Applied for: (Please attach list in detail in Form No. 2) (Copy of the Ownership Document(s)/ Copy of the Lease Deed/ Copy of the Rental Agreement to be produced)	

78650711-6

<p>9 A. Details of Offices of the Agents and Godowns  (a) Address:  (b) Tel. Nos:  (c) E-mail:  (Copy of the Ownership Document(s)/ Copy of the Lease Deed/ Copy of the Rental Agreement to be produced)</p> <p>10. Registration Criteria: (Tick which ever is applicable)  (Please attach Self Attested Copies)</p> <p>(A) Work Criteria: (Any one of the following)</p> <p>(i) R.C. of two commercial vehicles in the name of Organization / proprietor / partner / director  (ii) Contract letter / Work Order of any Regd. Company/Commercial organization of repute</p> <p>(B) Financial Criteria:</p> <p>The Applicant shall establish Net-Worth of Rs. 5 lakhs of the applicant's Company or its <b>Proprietor / Partner / Director</b> by submitting any one of the following.</p> <p>(1) Audited Balance Sheet  (2) C. A. Certificate  (3) Personal Balance Sheet / I.T. Return  (4) Bankers Certificate</p>	<p>Details:</p>
<p>11. Whether Service is to be provided under (i) Section 10 of the Act only, or (ii) under both Sections 10 &amp; 11 of the Act. If Service is to be provided under Section 11, the net worth of the applicant shall not be less than Rs 20 Lakhs. The applicant's Company or its Proprietor / Partner / Director should support net worth by any one of documents indicated in col. 10, above</p>	
<p>12. Details of the Fees Paid:</p> <p>(i) Security Deposit of Rs 5000/- for Registration of the Main Office &amp; Branches  (ii) Registration Fees for Grant of Registration Certificate of Rs 1000/  (iii) Fee for Renewal of Regn. Certificate(After Expiry of 10 years) Rs 1000/  (iv) Processing Fees Rs 250/</p>	<p>Details:</p>
<p>13. Declaration:  I/we, hereby, declare that the above particulars are true and correct as to the best of my/our knowledge.</p> <p>Date: _____ Signature of the Authorised Person(s)</p>	
<p>14. List of Enclosed Documents:</p>	
<p>15.</p> <p>Place: _____ Signature of the Authorised Person(s)  Date: _____ Name:  Designation:</p>	

**Part II**  
**Details of Branches**

Sl. No.	Location / State	Full Address & Contact Details (Tel. No. / Fax No/E-mail)	Usage Office / Godown / Hub Centre	Date of Commencement

**Dated:**

**Signature of Authorised Person**

## Form 2

## CERTIFICATE OF REGISTRATION

### [See rule 5 (1)]

1	Registration No.:	
2	Issue Date:	
3	Valid Up to:	
4	Issued To: a) Name of the Organization: b) Address & Contact Details of Main Office:  a) Name of the Person Authorized: b) Contact Details of the Person Authorized:	
5	Total No. of Branches: (List as per Form No. 2 attached)	
6	Particulars of the registering authority issuing the Certificate of Registration	

Date:

Place:

Signature along with seal

Name:

Designation:

**Form 3**  
**APPLICATION FOR AMENDMENT IN REGISTRATION**  
 [See rule 6 (1)]

(To be filled in Triplicate)

1. Name of the Organization	
2. Existing Registration Details (a) No.: (b) Date of Issue (c) Valid Up to (d) Issuing Authority	
3. Details of the Main Office (a) Address: (b) Tel. Nos.: (c) E-mail:	
4. Amendment Required for: (Tick whichever is Applicable) (a) Addition / Deletion / Change in Address of Branches: (Attach New Annexure in Form 2) (b) Change in Address of the Main Office: (c) Change of the Authorised Person / Particulars: (d) Change in any other particulars, specify: (To be intimated within 90 days of the Change)	
5. Amendment Details: (Attach supporting documents)	

766 4011-7

**5. Amendment Details Contd.:**

Note: If no intimation is received by the applicant within 30 days then this application duly received & acknowledged, will be deemed as an acceptance of the above Changes.

<b>6. Details of the Fees Paid:</b>	<b>Details:</b>
-------------------------------------	-----------------

**7. Declaration:**

I/we, hereby, declare that the above particulars are true and correct to the best of my/our knowledge and the changes are not being requested on account of any revocation of the certificate of registration by the competent authority.

Date:

Signature of the Authorised Person(s)

**8. List of Enclosed Documents:**

Place:

Date:

Signature of the Authorised Person(s)

Name:

Designation:

**Form 4****AMENDMENT OF CERTIFICATE OF  
REGISTRATION  
[See rule 6 (2)]**

1	No.:	
2	Issue Date:	
3	Valid Up to:	
4	Issued To: (a) Name of the Organization: (b) Registration No.: (c) Issue Date : (d) Valid Up to:	
5	Amendment Details:	

Date:

Place:

Signature along with seal

Name:

Designation:



**Form-6**  
**CONSOLIDATED ANNUAL RETURN**  
[See rule 8 (2)]

S.No.	Commodities	No. of Packages and Weight (tonnes)/ Volume (cc)	Freight Collected (Rs. Lakh)
1.	Beverages including potable alcohol		
2.	Building Materials		
3.	Chemicals (including gases)		
4.	Fertilizers		
5.	Tea, Coffee & Groceries		
6.	Consumer durables, Household Electronics & Electric Appliances		
7.	Fruits, Vegetables, Meat & Fish (including processed items)		
8.	Food grains & Edible Oil		
9.	Milk and milk products		
10.	Petroleum products including LPG		
11.	Leather and leather products		
12.	Plastic and plastic products		
13.	Livestock		
14.	Machinery & machine tools/ Metals and metal scrap		
15.	Motor vehicles & motor vehicle parts		
16.	Paper, paper board, wood and timber products		
17.	Rubber and rubber products		
18.	Sugar, Sugar Cane / by-products		
19.	Cosmetics & Toiletries		
20.	Any other item not listed above		

**Form 7**  
**Goods Forwarding Note**  
 [See rule 10 (1)]

S. No.	Subject	Details
1.	Goods Forwarding Note No. and Goods Receipt No. Date, if any. (GFN should be machine numbered)	
2.	Details of Consignor & Consignee	
3.	Particulars of the Goods	
4.	Value of Goods	
5.	Weight/Volume and No. of Packages/units	
6.	Origin	
7.	Destination	
8.	Expected date of delivery under normal conditions	
9.	Whether the cargo/consignment to be booked under Section 10 or under Section 11 of the Act.	
10.	Desirable period of delay, if any, beyond the likely date of delivery (requirement of section 10(2) if the cargo is to be booked under section 10 of the Act.	
11.	Cargo to be booked as (a) dangerous & hazardous goods (D & H) category or as (b) Normal Goods	
12.	Details of the insurance policy/cover (for dangerous/hazardous goods)	

I \_\_\_\_\_ have taken necessary precautions for carrying dangerous and hazardous goods.

Date: \_\_\_\_\_

Signature of the consignor: \_\_\_\_\_

Note:

*For dangerous & hazardous goods the form should have upper left hand corners printed in red as Dangerous and Hazardous goods.*

**Form 8**  
**Goods Receipt**  
**[See rule 10 (4)]**

S. No.	Subject	Details
1	Goods Forwarding Note No. & Date	
2	Goods Receipt No. & Date (GR should be machine numbered)	
3	Details of Consignor Name and Address: Details of Consignee Name and Address:	
4	Particulars of the Goods & their value.	
5	Weight/Volume and No. of Packages/units	
6	Origin of Consignment	
7	Destination of Consignment	
8	Whether the cargo/ consignment has been booked under Section 10 or under Section 11 of the Act.	
9	Distance to destination.	
10	Likely date of delivery	
11	Mutually agreed period of delay beyond the likely date of delivery {requirement of section 10(2)}	
12	Freight collected/paid /due (for calculating liability under Section 10(1).	
13	Additional payment collected /due over and above freight charges for higher risk undertaken by the common carrier as mutually agreed upon with the consignor if cargo booked under section 11.	
14	Details of the insurance Policy/cover (in case of dangerous/hazardous goods	

I \_\_\_\_\_ have taken necessary precautions for carrying dangerous and hazardous goods.

Date: \_\_\_\_\_

Signature of the registered common carrier/his authorized agent: \_\_\_\_\_

Note: For dangerous and hazardous goods the form should have upper left hand corners printed in Red as Dangerous and Hazardous goods.

[F. No. RT-11023/1/2007-T]

S. K. DASH, Jt. Secy.



# भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 126]

नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, मार्च 10, 2011/फाल्गुन 19, 1932

No. 126]

NEW DELHI, THURSDAY, MARCH 10, 2011/PHALGUNA 19, 1932

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

शुद्धि-पत्र

CORRIGENDUM

नई दिल्ली, 10 मार्च, 2011

New Delhi, the 10th March, 2011

सा.का.नि. 205(अ).—भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उप खंड(i) में प्रकाशित सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार की दिनांक 28-02-2011 की अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 176(अ) में;

G. S. R 205(E).—In the notification of Government of India, in the Ministry of Road Transport and Highways, Number G.S.R. 176(E), dated 28th February, 2011, published in the Gazette of India, Extraordinary, Part II, Section 3, Sub-section (i);

पृष्ठ सं. 1 पर हिंदी पाठ में "प्रारूप नियम" शब्द हटा दिए जाएंगे।

At page No. 16 of English Version, the words "Draft Rules" shall be deleted.

[फा सं आरटी-11023/1/2007-टी]

[F. No. RT-11023/1/2007-T]

सरोज कुमार दास, संयुक्त सचिव

S.K. DASH, Jt. Secy.